

उत्तर प्रदेश

विद्युत आपूर्ति संहिता (ग्यारहवाँ संशोधन), 2018

संख्या : उ0प्र0वि0नि0आ0 / सचिव / विनियम / आपूर्ति संहिता / 2018 / 1751

दिनांक 17-01-2018

अधिसूचना

विविध

जबकि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 176 एवं 183 के अनुसार तथा इसकी ओर से समस्त अन्य शक्तियों के अधीन उ0 प्र0 विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 (दसवाँ संशोधन) दिनांक 26 सितम्बर, 2017 को अधिसूचित किया गया था।

और जबकि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के कुछ प्राविधानों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा उनके संशोधनों के लिए एवम् विद्युत आपूर्ति संहिता में अग्रेतर कुछ संशोधनों के लिए अनुरोध किया गया है।

और जबकि आपूर्ति संहिता, 2005 में कथित कठिनाइयों के कारणों से विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 में कुछ संशोधनों / प्रतिस्थापन / विलोपनों के सम्बंध में संशोधन किये गये हैं।

और जबकि उपर्युक्त के परिणामस्वरूप तथा अन्य महत्वपूर्ण कारणों से आपूर्ति संहिता, 2005 के कुछ प्रावधानों में सुधार किया जाना आवश्यक हो गया और उनका संशोधन किया जाना है।

अब इस प्रकार से विद्युत अधिनियम की धारा 50 तथा आपूर्ति संहिता, 2005 के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त अधिकारों तथा इसकी ओर से दिये गये सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग विद्युत आपूर्ति संहिता (ग्यारहवाँ संशोधन), 2018 नाम से निम्नानुसार संशोधित करता है:-

1-संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रभावी होना- (1) यह संहिता विद्युत आपूर्ति संहिता (ग्यारहवाँ संशोधन), 2018 कहलाएगी।

(2) अधिकारिक गजट में अधिसूचित तिथि से यह प्रभावी होगी।

(3) संलग्नक 4.6 (सन्दर्भ अनुच्छेद 4.9) संशोधित किया जाता है।

2- बहुमंजिला भवन/कालोनी में विद्युत भार की गणना हेतु दिशा निर्देशों से सम्बंधित संलग्नक 4.6 (सन्दर्भ अनुच्छेद 4.9) की टिप्पणी के बिन्दु संख्या 1 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

विद्यमान	संशोधित
बहुमंजिला भवन से ऐसा भवन अभिप्रेत है, जिसमें निम्न तल को अपवर्जित करके तीन या अधिक तल हों।	बहुमंजिला भवन से ऐसा भवन अभिप्रेत है, जिसमें निम्न तल को अपवर्जित करके चार या अधिक तल हों परन्तु भवन में प्रवेश हेतु भूतल को मंजिलों की गणना हेतु सम्मिलित किया जायेगा। विद्युत भार तथा आच्छादित क्षेत्र से सम्बंधित अन्य प्रावधान वही रहेंगे जो विद्यमान हैं।

आयोग के आदेशानुसार

(संजय श्रीवास्तव)
सचिव

दिनांक: 17/01/2018

Uttar Pradesh
Electricity Supply Code (Eleventh Amendment), 2018

No.: UPERC/Secy/Regulations/Supply Code/2018/1751

Dated: 17.01.2018

Notification

Miscellaneous

Whereas the U.P. Electricity Supply Code 2005(Tenth Amendment) was notified on 26th September, 2017, in accordance with Sections 176 and 183 of Electricity Act, 2003 and all other enabling powers in this behalf;

And whereas, the licensees are facing difficulties in some of the provisions of the Electricity Supply Code, 2005, and amendments thereof and have requested further for some amendments in the Electricity Supply Code.

And whereas, by reason of some of the said difficulties in the Supply Code, 2005 some addendums / substitution / deletions in the Electricity Supply Code 2005 and amendments thereof, have been made.

And whereas, as a result of the above, and for other substantial reasons, it has become necessary to amend certain provisions of the Supply Code, 2005 and amendments thereof;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 50 of the Electricity Act and the provisions of the Supply Code, 2005 and all other enabling powers in this behalf, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission makes the following Electricity Supply Code (Eleventh Amendment), 2018, namely

- 1. Short title and commencement** - (1) This Code shall be called the Electricity Supply Code (Eleventh Amendment), 2018.

(2) It shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

(3) The Annexure 4.6 (ref. clause 4.9) is amended.

2. The Annexure 4.6 (ref. clause 4.9) point no. 1 under note of Guidelines for Determination of Load in case of Multi-Storied Building/Colonies is amended as follows:

Sl. No.	Existing Provision	New Provision
1	Multi-storied building means a building having three or more stories excluding basement.	Multi-storied building means a building having more than four stories excluding basement but the stilt floor will be included in ascertaining the number of stories. The other provisions regarding load and covered area will remain as they are.

By the order of the Commission,

(Sanjay Srivastava)
Secretary

Dated: 17.01.2018